

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 54/2022

रामगोपाल पुत्र देबूराम जाति माली निवासी उदयदास की ढाणी, राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर

-वादी-


बनाम

1. द्वारका प्रसाद
2. रमेश कुमार
3. सीताराम पुत्रगण देबूराम समस्त जाति माली निवासीगण उदयदास की ढाणी, राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
4. पटवार हल्का, पटवारी राधाकिशनपुरा
5. उप पंजीयक सीकर
6. तहसीलदार, सीकर

- प्रतिवादीगण -

वाद बाबत उद्घोषणा बंटवारा, रिकार्ड दुरुस्ती व रास्ते कायम करने हेतु व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ.

वाद वादी भूमि खसरा नम्बर 398 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर का खारिज किया जाता है।


  
(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

| वादी                             |       | प्रतिवादी                     |       |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|                                  | रुपया |                               | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प       | 5.00  | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     | 36.00 |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       | अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       | प्लीडर की फीस                 |       |
| 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस   | 36.00 | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       | आदेशिका की तामील              |       |
| 6. कमिश्नर की फीस                |       | कमिश्नर की फीस                |       |
| 7. आदेशिका की तामील              |       |                               |       |
| जोड़                             | 41.00 | जोड़                          | 36.00 |

आज तारीख 6.1.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी सीकर